अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 125/2011

पशुराम दास

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 2207/गो0, दिनांक 25.11.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.11.2011 को 09.45 बजे में पशुराम दास, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0-39/2007, सा0-पकड़ी नरोत्तम ,पंचायत-होरहा जगतपुर, प्रखंड-पानापुर, थाना-पानापुर जिला-सारण की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय जांच दल द्वारा निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितता पाई गयी– (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बन्द पाई गई तथा विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (3) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों द्वारा उपरोक्त कागजात जांच हेतु प्रस्तुत नही किया गया। (4) विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकार नही दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न/चीनी/किरासन तेल/ का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कर कालाबाजार में बेच दिया जाता है।	

(5) विकेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि उन्हें दो माह पर एक बार तीन लीटर किरासन तेल मिलता है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 2075 ,दिनांक 10.11.2011 के द्वारा विकेता से कारण-पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि को अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए विकेता मढौरा गए हुए थे, एवं अपने पास भूल वश चाभी भी ले गये थे। जिस वजह से परिवार के सदस्यों के द्वारा दूकान खोलकर दिखाना संभव न हो सका। सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका समूचित रूप से संधारित था, लेकिन हो सकता है कि किसी शरारती बच्चे के द्वारा यह मिटा दिया गया हो। विकेता के द्वारा अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण निगरानी समिति के समक्ष किया जाता है। विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2207, दिनांक 25.11.2011) एक मुखर आदेश नहीं है। विकेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। विकेता के द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि विकेता अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में आहुत बैठक में भाग लेने के लिए मढौरा गए हुए थे। इस बिन्दु पर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट नही किया गया कि उनके द्वारा ऐसी कोई बैठक बुलाई गई थी या नही। इसी प्रकार, विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में जांच के क्रम में यदि गंभीर अनियमितताए पाई गई तो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि विकेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं विकेता से प्राप्त जवाब के आलोक में विधिसम्मत मुखर आदेश पारित किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया

गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 351 /न्या0, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/5/15